

FORM-I
(For linear Project)
Government of Uttarakhand
OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT Uttarkashi (UK)

No...174...

Date...13.7.2018

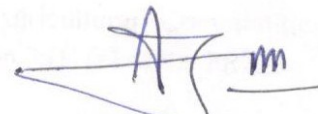
TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt-) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear/non-linear projects, it is certified that 24.317 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **SJVN Limited (A Joint Venture of Govt. of India & Govt. Of Himachal pradesh) for construction of Jakhol Sankri Hydro Electric Project (44 MW) in District Uttarkashi of Uttarakhand** falls within jurisdiction of Jakhol, Dhara, Sawni, Sunkundi, Paon Talla & Paon Malla Village (s) in Mori Tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 24.317 hectares of the forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights committee (s) Sub-Division Level Committee (s) and the District level committee are enclosed as **Annexure (s) A, B & C**.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above


(Dr. Ashish Chauhan)
District Magistrate
Uttarkashi.
जिला अधिकारी
उत्तरकाशी

FORM-II
(For Projects other than linear Projects)
Government of Uttarakhand
OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT Uttarkashi (UK)

No....174.....

Date...13.7.2018.....

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt-) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear/non-linear projects, it is certified that 24.317 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **SJVN Limited (A Joint Venture of Govt. of India & Govt. Of Himachal pradesh) for construction of Jakhol Sankri Hydro Electric Project (44 MW) in District Uttarkashi of Uttarakhand falls within jurisdiction of Jakhol, Dhara, Sawni, Sunkundi, Paon Talla & Paon Malla Village (s) in Mori Tehsil.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 24.317 hectares of the forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights committee (s) Sub-Division Level Committee (s) and the District level committee are enclosed as **Annexure (s) A, B & C.**
- (b) The proposal for such diversion have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest- dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified taht all formalites/ processes under the FRA have carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certified issued by the gram sabha of **Jakhol, Dhara, Sawni, Sunkundi, Paon Talla & Paon Malla Village (s)** is enclosed as **annexure (s) A, B & C.**
- (d) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.
- (e) The rights of Primitive Tribal Group and Pre- Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguard as per section 3 (I) (e) of the FRA.

Encl: As above


(Dr. Ashish Chauhan)
District Magistrate
Uttarkashi.

जिला अधिकारी
उत्तरकाशी

ANNEXURE

**OFFICE OF THE DISTRICT MEGISTRATE
DISTRICT Uttarkashi (UK)**

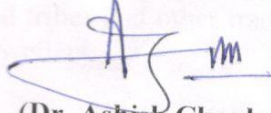
Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under schedule tribes and other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) at (FRA), 2006.

A meeting of District Level Committee of Uttarkashi district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Dr. Ashish Chauhan, District Magistrate, Uttarkashi on date 13.07.2018 at time 11:00 AM Uttarkashi in which application claiming rights in the forest land area measuring 24.317 Hect. For the construction of Jakhol Sankri Hydro Electric Project forest land under FRA, 2006 of the following applicants duly processed and recommended by the Sub Divisional Label Committee of Purola/Mori was discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After Scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District Level Committee recommended the above case for diversion of land for the said purpose..

Place : Uttarkashi.

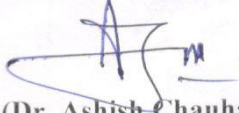
Dated: 13/7/2018


(Dr. Ashish Chauhan)
District Magistrate
Uttarkashi

जिला अधिकारी
उत्तरकाशी

It is certified that Minutes of Meeting of construction of Jakhol Sankri Hydro Electric Project (44 MW) Mori, Uttarkashi state of Uttarakhand regarding FRA is as following :

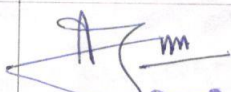
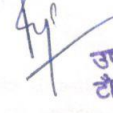
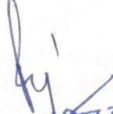
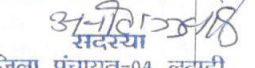
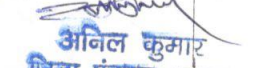
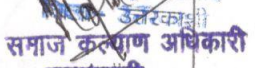
Sr. No.		Remarks
(a)	The complete process for identification in settlement of rights under the FRA has been carried out the entire 24.317 Hect. Of reserve forest area proposed for diversion. A copy of record of the consultation and meeting of the forest right committee (s). Sub Division level Committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for the facilities managed by the Government has required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the villagers have given consent to it.	Yes, copy records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned village regarding construction of Jakhol Sankri Hydro Electric Project, Mori in Uttarkashi of aforesaid in the state of Uttarakhand scheme attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural committees	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.


 (Dr. Ashish Chauhan)
 District Magistrate
 Uttarkashi

जिला अधिकारी
 उत्तरकाशी

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी
जिला स्तरीय समिति
जिला उत्तरकाशी

आज दिनांक 13.07.2018 को जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (44 मेगावाट) के निर्माण हेतु 22.067 हे० सिविल सोयम एवं 2.25 हे० आरक्षित वन भूमि कुल 24.317 हे० हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी, उत्तरकाशी की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	डॉ० आशीष चौहान	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी	
2	श्री आर० पी० मिश्रा	प्रभागीय वनाधिकारी, टौंस वन प्रभाग, पुरोला	 जिला अधिकारी उत्तरकाशी उप वन संरक्षक टौंस वन प्रभाग, पुरोला
3	श्री आर० पी० मिश्रा	गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क, पुरोला	 उप निदेशक गोविन्द वन्य जीव विहार/रा० पा० पुरोला, उत्तराखण्ड
4	श्री जितेन्द्र सिंह राणा	जिला पंचायत सदस्य, टकनौर	 जितेन्द्र सिंह राणा सदस्य जिला पंचायत टकनौर/ जिला योजना समिति उत्तरकाशी
5	श्रीमती अनीता गुसाईं	जिला पंचायत सदस्य, कन्सेण	 31-07-2018 जिला पंचायत-04 लवाड़ी वि०ख०-भाटवाड़ी, उत्तरकाशी
6	श्री अनिल कुमार	जिला पंचायत सदस्य, डख्याटगांव	 अनिल कुमार जिला पंचायत सदस्य डख्याटगांव उत्तरकाशी
7.	महिधर सिंह तेलम	जिला समाज कल्याण अधिकारी	 जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी

8 श्री जे.के. मधुवन अप्पर महा प्रबंधक - परियोजना प्रमुख,

13/7/18

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी में जखोल - सांकरी जल विद्युत परियोजना (44 मेगावाट) का निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पुरोला
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, मोरी

उपखण्ड मोरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु (2.25 हे० आरक्षित वन भूमि 22.067 हे० सिविल सोयम वन भूमि, अर्थात् कुल 24.317 हे० वन भूमि) का एसजेवीएन लिमिटेड, मोरी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील मोरी) की दिनांक..... की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं अधिनियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री पी० एस० राणा, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।
1. श्री P. S. Rana उप जिलाधिकारी अध्यक्ष
 2. श्री अरुण कुमार प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
 3. श्री मोहन कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव
 4. श्री मती इविन्दी देवी बी०डी०सी० क्षेत्र सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 हे० वन भूमि एसजेवीएन लिमिटेड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम समा के अन्तर्गत वनाधिकार को कोई मामला लम्बित नहीं है।

उक्त भूमि का संबंधित ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से परित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, टैन्स वन प्रभाग, पुरोला द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 व तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम समा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड मोरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 हे० वन भूमि एसजेवीएन लिमिटेड प्रयोक्ता एजेन्सी को जनाहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-मोरी
जनपद-उत्तरकाशी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-मोरी
जनपद-उत्तरकाशी।

विषय: प्रस्तावित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (44 मेगावाट) के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि 24.317 हेक्टेयर एसजेवीएन के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु चर्चा।

बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों के ध्यानार्थ लाया गया कि प्रस्तावित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (44 मेगावाट) के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत पांव तल्ला/ पांव मल्ला/ सुनकुण्डी/ सावणी/ धारा/ जखोल की आरक्षित वन भूमि 24.317 हेक्टेयर एसजेवीएन के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु ग्राम सभा की बैठक हो अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है।

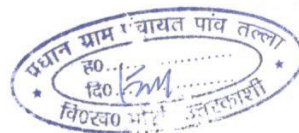
बैठक में श्री कौरी रावत प्रधान ग्राम पंचायत पांव मल्ला द्वारा उपस्थित सदस्यों को प्रस्तावित परियोजना की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी तथा परियोजना से होने वाले स्थानीय विकास तथा परिणामों पर चर्चा की गयी।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पांव मल्ला द्वारा ग्राम सभा बैठक में एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फोरेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0)2006 के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। तथा किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी के अधिकारों का हनन नहीं किया जा रहा है।

चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त आरक्षित वन भूमि 24.317 हेक्टेयर को प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु हस्तान्तरित करने पर किसी किस्म का एतराज नहीं है। बशर्ते परियोजना से प्रभावित लोगों एवं स्थानीय विकास हेतु कार्य किये जायें।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

प्रतिलिपि: उप-महाप्रबन्धक परियोजना प्रमुख जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना मोरी की सेवा में
आवश्यक कार्यवाही सूचनार्थ प्रेषित है।



अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड में एसजेवीएन लिमिटेड मोरी को जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (44 मेगावाट) के निर्माण के लिए आरक्षित वन भूमि 2.25 हेक्टेयर तथा सिविल सोयम भूमि 22.067 हेक्टेयर (24.317 हे0) को एसजेवीएन मोरी के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पांव मल्ला द्वारा ग्राम सभा बैठक में एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फॉरेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0)2006 के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। तथा किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी के अधिकारों का हनन नहीं किया जा रहा है।

चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त आरक्षित वन भूमि 2.25 हेक्टेयर को प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु हस्तान्तरित करने पर किसी किस्म का एतराज नहीं है। बशर्ते परियोजना से प्रभावित लोगों एवं स्थानीय विकास हेतु कार्य किये जायें।

ग्राम सभा की सिफारिश पर फॉरेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0)2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा आरक्षित वनभूमि (2.25 हे0) तथा सिविल सोयम भूमि 22.067 हेक्टेयर (24.317 हे0) एसजेवीएन लिमिटेड मोरी, उत्तरकाशी को प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



विषय: प्रस्तावित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (44 मेगावाट) के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि 24.317 हेक्टेयर एसजेवीएन के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु चर्चा।

बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों के ध्यानार्थ लाया गया कि प्रस्तावित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (44 मेगावाट) के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत पांव तल्ला/ पांव मल्ला/ सुनकुण्डी/ सावणी/ धारा/ जखोल की आरक्षित वन भूमि 24.317 हेक्टेयर एसजेवीएन के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु ग्राम सभा की बैठक हो अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है।

बैठक में श्रीमती कौरी रावत प्रधान ग्राम पंचायत पांव तल्ला द्वारा उपस्थित सदस्यों को प्रस्तावित परियोजना की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी तथा परियोजना से होने वाले स्थानीय विकास तथा परिणामों पर चर्चा की गयी।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पांव तल्ला द्वारा ग्राम सभा बैठक में एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फोरेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0)2006 के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। तथा किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी के अधिकारों का हनन नहीं किया जा रहा है।

चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त आरक्षित वन भूमि 24.317 हेक्टेयर को प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु हस्तान्तरित करने पर किसी किसम का एतराज नहीं है। बशर्ते परियोजना से प्रभावित लोगों एवं स्थानीय विकास हेतु कार्य किये जायें।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

प्रतिलिपि: उप-महाप्रबन्धक परियोजना प्रमुख जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना मोरी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही सूचनार्थ प्रेषित है।



अनापत्ति प्रमाण पत्र

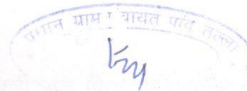
जिला उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड में एसजेवीएन लिमिटेड मोरी को जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (44 मेगावाट) के निर्माण के लिए आरक्षित वन भूमि 2.25 हेक्टेयर तथा सिविल सोयम भूमि 22.067 हेक्टेयर (24.317 हे०) को एसजेवीएन मोरी के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सुनकुण्डी द्वारा ग्राम राभा बैठक में एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फॉरेस्ट राईट एक्ट (एफ०आर०ए०) 2006 के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। तथा किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी के अधिकारों का हनन नहीं किया जा रहा है।

चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त आरक्षित वन भूमि 24.317 हेक्टेयर को प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु हस्तान्तरित करने पर किसी किरम का एतराज नहीं है। बशर्ते परियोजना से प्रभावित लोगों एवं स्थानीय विकास हेतु कार्य किये जायें।

ग्राम सभा की सिफारिश पर फॉरेस्ट राईट एक्ट (एफ०आर०ए०) 2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा आरक्षित वनभूमि (2.25 हे०) तथा सिविल सोयम भूमि 22.067 हेक्टेयर (24.317 हे०) एसजेवीएन लिमिटेड मोरी, उत्तरकाशी को प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



विषय: प्रस्तावित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (44 मेगावाट) के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि 24.317 हेक्टेयर एसजेवीएन के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु चर्चा।

बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों के ध्यानार्थ लाया गया कि प्रस्तावित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (44 मेगावाट) के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत पांव तल्ला/ पांव मल्ला/सुनकुण्डी/सावणी/धारा/जखोल की आरक्षित वन भूमि 24.317 हेक्टेयर एसजेवीएन के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु ग्राम सभा की बैठक हो अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है।

बैठक में श्रीमती कौरी रावत प्रधान ग्राम पंचायत सुनकुण्डी द्वारा उपस्थित सदस्यों को प्रस्तावित परियोजना की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी तथा परियोजना से होने वाले स्थानीय विकास तथा परिणामों पर चर्चा की गयी।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सुनकुण्डी द्वारा ग्राम सभा बैठक में एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फोरेस्ट राईट एक्ट (एफओआरओ)2006 के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। तथा किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी के अधिकारों का हनन नहीं किया जा रहा है।

चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त आरक्षित वन भूमि 24.317 हेक्टेयर को प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु हस्तान्तरित करने पर किसी किसम का एतराज नहीं है। बशर्त परियोजना से प्रभावित लोगों एवं स्थानीय विकास हेतु कार्य किये जायें।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

प्रतिलिपि: उप-महाप्रबन्धक परियोजना प्रमुख जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना मोरी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही सूचनार्थ प्रेषित है।



विषय: प्रस्तावित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (44 मेगावाट) के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि 24.317 हेक्टेयर एसजेवीएन के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु चर्चा।

बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों के ध्यानार्थ लाया गया कि प्रस्तावित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (44 मेगावाट) के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत पांव तल्ला/ पांव मल्ला/ सुनकुण्डी/ सावणी/ धारा/ जखोल की आरक्षित वन भूमि 24.317 हेक्टेयर एसजेवीएन के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु ग्राम सभा की बैठक हो अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है।

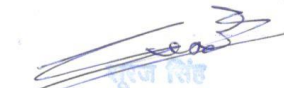
बैठक में श्री सूरज रावत प्रधान ग्राम पंचायत जखोल द्वारा उपस्थित सदस्यों को प्रस्तावित परियोजना की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी तथा परियोजना से होने वाले स्थानीय विकास तथा परिणामों पर चर्चा की गयी।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जखोल द्वारा ग्राम सभा बैठक में एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फोरेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0)2006 के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। तथा किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी के अधिकारों का हनन नहीं किया जा रहा है।

चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त आरक्षित वन भूमि 24.317 हेक्टेयर को प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु हस्तान्तरित करने पर किसी किस्म का एतराज नहीं है। बशर्ते परियोजना से प्रभावित लोगों एवं स्थानीय विकास हेतु कार्य किये जायें।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

प्रतिलिपि: उप-महाप्रबन्धक परियोजना प्रमुख जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना मोरी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही सूचनार्थ प्रेषित है।


सूरज सिंह
ग्राम प्रधान जखोल
विखो मोरी, उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड में एसजेवीएन लिमिटेड मोरी को जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (44 मेगावाट) के निर्माण के लिए आरक्षित वन भूमि 2.25 हेक्टेयर तथा सिविल सोयम भूमि 22.067 हेक्टेयर (24.317 हे0) को एसजेवीएन मोरी के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जखोल द्वारा ग्राम सभा बैठक में एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फोरेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0)2006 के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। तथा किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी के अधिकारों का हनन नहीं किया जा रहा है।

चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त आरक्षित वन भूमि 24.317 हेक्टेयर को प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु हस्तान्तरित करने पर किसी किस्म का एतराज नहीं है। बशर्ते परियोजना से प्रभावित लोगों एवं स्थानीय विकास हेतु कार्य किये जायें।

ग्राम सभा की सिफारिश पर फोरेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0)2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा आरक्षित वनभूमि (2.25 हे0) तथा सिविल सोयम भूमि 22.067 हेक्टेयर (24.317 हे0) एसजेवीएन लिमिटेड मोरी, उत्तरकाशी को प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम प्रमुख
जखोल

विषय: प्रस्तावित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (44 मेगावाट) के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि 24.317 हेक्टेयर एसजेवीएन के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु चर्चा।

बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों के ध्यानार्थ लाया गया कि प्रस्तावित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (44 मेगावाट) के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत पांव तल्ला/ पांव मल्ला/सुनकुण्डी/सावणी/धारा/जखोल की आरक्षित वन भूमि 24.317 हेक्टेयर एसजेवीएन के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु ग्राम सभा की बैठक हो अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है।

बैठक में श्रीमती सुमाडी देवी प्रधान ग्राम पंचायत धारा द्वारा उपस्थित सदस्यों को प्रस्तावित परियोजना की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी तथा परियोजना से होने वाले स्थानीय विकास तथा परिणामों पर चर्चा की गयी।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धारा द्वारा ग्राम सभा बैठक में एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फोरेस्ट राइट एक्ट (एफ0आर0ए0)2006 के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। तथा किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी के अधिकारों का हनन नहीं किया जा रहा है।

चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त आरक्षित वन भूमि 24.317 हेक्टेयर को प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु हस्तान्तरित करने पर किसी किस्म का एतराज नहीं है। बशर्तें परियोजना से प्रभावित लोगों एवं स्थानीय विकास हेतु कार्य किये जायें।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

प्रधान
ग्राम पंचायत-धारा
वि०ख०-सु० (उत्तरकाशी)

प्रतिलिपि: उप-महाप्रबन्धक परियोजना प्रमुख जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना मोरी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही सूचनार्थ प्रेषित है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड में एसजेवीएन लिमिटेड मोरी को जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (44 मेगावाट) के निर्माण के लिए आरक्षित वन भूमि 2.25 हेक्टेयर तथा सिविल सोयम भूमि 22.067 हेक्टेयर (24.317 हे0) को एसजेवीएन मोरी के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धारा द्वारा ग्राम सभा बैठक में एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फॉरेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0)2006 के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। तथा किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी के अधिकारों का हनन नहीं किया जा रहा है।

चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त आरक्षित वन भूमि 24.317 हेक्टेयर को प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु हस्तान्तरित करने पर किसी किस्म का एतराज नहीं है। बशर्ते परियोजना से प्रभावित लोगों एवं स्थानीय विकास हेतु कार्य किये जायें।

ग्राम सभा की सिफारिश पर फॉरेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0)2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा आरक्षित वनभूमि (2.25 हे0) तथा सिविल सोयम भूमि 22.067 हेक्टेयर (24.317 हे0) एसजेवीएन लिमिटेड मोरी, उत्तरकाशी को प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रमाणित
ग्राम पंचायत-धारा
सि०स०-मोरी (उत्तरकाशी)

विषय: प्रस्तावित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (44 मेगावाट) के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि 24.317 हेक्टेयर एसजेवीएन के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु चर्चा।

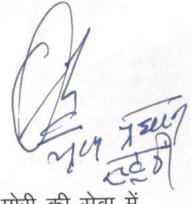
बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों के ध्यानार्थ लाया गया कि प्रस्तावित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (44 मेगावाट) के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत पांव तल्ला/ पांव मल्ला/सुनकुण्डी/सावणी/धारा/जखोल की आरक्षित वन भूमि 24.317 हेक्टेयर एसजेवीएन के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु ग्राम सभा की बैठक हो अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है।

बैठक में श्री ज्ञान सिंह प्रधान ग्राम पंचायत सावणी द्वारा उपस्थित सदस्यों को प्रस्तावित परियोजना की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी तथा परियोजना से होने वाले स्थानीय विकास तथा परिणामों पर चर्चा की गयी।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सावणी द्वारा ग्राम सभा बैठक में एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फोरेस्ट राईट एक्ट (एफओआरओएओ)2006 के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। तथा किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी के अधिकारों का हनन नहीं किया जा रहा है।

चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त आरक्षित वन भूमि 24.317 हेक्टेयर को प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु हस्तान्तरित करने पर किसी किस्म का एतराज नहीं है। बशर्ते परियोजना से प्रभावित लोगों एवं स्थानीय विकास हेतु कार्य किये जायें।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।



प्रतिलिपि: उप-महाप्रबन्धक परियोजना प्रमुख जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना मोरी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही सूचनार्थ प्रेषित है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड में एसजेवीएन लिमिटेड मोरी को जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (44 मेगावाट) के निर्माण के लिए आरक्षित वन भूमि 2.25 हेक्टेयर तथा सिविल सोयम भूमि 22.067 हेक्टेयर (24.317 हे0) को एसजेवीएन मोरी के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सावणी द्वारा ग्राम सभा बैठक में एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फॉरेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0)2006 के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। तथा किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी के अधिकारों का हनन नहीं किया जा रहा है।

चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त आरक्षित वन भूमि 24.317 हेक्टेयर को प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु हस्तान्तरित करने पर किसी किस्म का एतराज नहीं है। बशर्ते परियोजना से प्रभावित लोगों एवं स्थानीय विकास हेतु कार्य किये जायें।

ग्राम सभा की सिफारिश पर फॉरेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0)2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा आरक्षित वनभूमि (2.25 हे0) तथा सिविल सोयम भूमि 22.067 हेक्टेयर (24.317 हे0) एसजेवीएन लिमिटेड मोरी, उत्तरकाशी को प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम पंचायत
सावणी

ग्राम पंचायत – जखोल

विषय: प्रस्तावित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (44 मेगावाट) के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि 24.317 हेक्टेयर एसजेवीएन के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु चर्चा।

बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों के ध्यानार्थ लाया गया कि प्रस्तावित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (44 मेगावाट) के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत पांव तल्ला/ पांव मल्ला/ सुनकुण्डी/ सावणी/ धारा/ जखोल की आरक्षित वन भूमि 24.317 हेक्टेयर एसजेवीएन के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु ग्राम सभा की बैठक हो अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है।

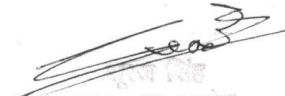
बैठक में श्री सूरज रावत प्रधान ग्राम पंचायत जखोल द्वारा उपस्थित सदस्यों को प्रस्तावित परियोजना की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी तथा परियोजना से होने वाले स्थानीय विकास तथा परिणामों पर चर्चा की गयी।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जखोल द्वारा ग्राम सभा बैठक में एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फोरेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0)2006 के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। तथा किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी के अधिकारों का हनन नहीं किया जा रहा है।

चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त आरक्षित वन भूमि 24.317 हेक्टेयर को प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु हस्तान्तरित करने पर किसी किसम का एतराज नहीं है। बशर्ते परियोजना से प्रभावित लोगों एवं स्थानीय विकास हेतु कार्य किये जायें।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

प्रतिलिपि: उप-महाप्रबन्धक परियोजना प्रमुख जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना मोरी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही सूचनार्थ प्रेषित है।


ग्राम प्रधान जखोल
जखोल, जखोल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

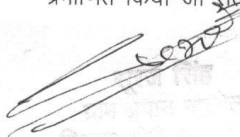
जिला उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड में एसजेवीएन लिमिटेड मोरी को जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (44 मेगावाट) के निर्माण के लिए आरक्षित वन भूमि 2.25 हेक्टेयर तथा सिविल सोयम भूमि 22.067 हेक्टेयर (24.317 हे0) को एसजेवीएन मोरी के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जखोल द्वारा ग्राम सभा बैठक में एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फॉरेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0)2006 के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। तथा किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी के अधिकारों का हनन नहीं किया जा रहा है।

चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त आरक्षित वन भूमि 24.317 हेक्टेयर को प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु हस्तान्तरित करने पर किसी किस्म का एतराज नहीं है। बशर्ते परियोजना से प्रभावित लोगों एवं स्थानीय विकास हेतु कार्य किये जायें।

ग्राम सभा की सिफारिश पर फॉरेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0)2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा आरक्षित वनभूमि (2.25 हे0) तथा सिविल सोयम भूमि 22.067 हेक्टेयर (24.317 हे0) एसजेवीएन लिमिटेड मोरी, उत्तरकाशी को प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

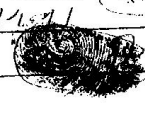
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ગ્રામ પંચાયત - જાણી

૧	હરદા	
૨	સરદાર	૨૨૧૧
૩	ગિનાલી	૩૨૬૬ ગિના
૪	ગમલલ	ગિનાલી
૫	દિરેન્દ્ર	૫૫૫૫
૬	લોલિ	૬૬૬૬
૭	લોકલિ	૭૭૭૭
૮	મિના લાલ	૮૮૮૮
૯	સોની	૯૯૯૯
૧૦	મરાવાલ	૧૦૧૦
૧૧	ચિત્રા	૧૧૧૧
૧૨	દુવાગી	૧૨૧૨
૧૩	રેલા	૧૩૧૩
૧૪	લિંગાલાલ	૧૪૧૪
૧૫	સુનેલ	૧૫૧૫
૧૬	રવિન્દ્ર	૧૬૧૬
૧૭	લિંગેલ	૧૭૧૭
૧૮	સમીલ	૧૮૧૮
૧૯	અનિલ	૧૯૧૯
૨૦	પાલેલ	૨૦૨૦
૨૧	પરિલાલ	૨૧૨૧
૨૨	લિંગુલાલ	૨૨૨૨
૨૩	રિંગેલી	૨૩૨૩
૨૪	ગરી	૨૪૨૪
૨૫	સુને	૨૫૨૫
૨૬	તારી	૨૬૨૬

(27)	जितु	जीतु
(28)	रागुली	रागुली
(29)	भूकेडा	भूकेडा
(30)	बिगा	बिगा
(31)	वृजरु	वृजरु
(32)	जितारी	जितारी
(33)	विजेन्दी	विजेन्दी
(34)	विजोद	विजोद
(35)	हरिडा	हरिडा
(36)	खेलधु	खेलधु
(37)	गीतगी	गीतगी
(38)	पुनी	पुनी
(39)	बुडडी	बुडडी
(40)	बिजापाल	बिजापाल
(41)	कली	कली
(42)	सोतन	सोतन
(43)	रामलाल	रामलाल
(44)	रिया	रिया
(45)	सूदे	सूदे
(46)	विधुल	विधुल
(47)	नरेडा	नरेडा
(48)	सुगिता	सुगिता
(49)	लला	लला
(50)	बेपा	बेपा
(51)	इमथ	इमथ
(52)	जन्दी	जन्दी

(53)	पालव	पालव
(54)	लवनी	लवनी
(55)	नारपाल	नारपाल
(56)	सुन्दर	सुन्दर
(57)	सुन्दर	सुन्दर
(58)	पति	 31/08/1986
(59)	पति	पति
(60)	जयमा	जयमा
(61)	सुन्दर	सुन्दर
(62)	सुन्दर	 31/08/1986
(63)	कालिया	कालिया
(64)	जिमला	 31/08/1986
(65)	सुन्दर	सुन्दर
(66)	सुन्दर	 31/08/1986
(67)	पति	पति
(68)	लायलिया	लायलिया
(69)	सोनी	 31/08/1986
(70)	कमला	कमला
(71)	गुडरी	 31/08/1986
(72)	जामकिशन	जामकिशन
(73)	सीता	सीता
(74)	सुन्दर	सुन्दर
(75)	सुन्दर	सुन्दर
(76)	सुन्दर	सुन्दर
(77)	सीता	सीता

78	कलिया	कलिया	
79	रामपति	रामपति	
80	साधु		
81	कामुपा		
82	रतेल	रतेल	
83	कन्डीलाल	कन्डीलाल	
84	रामलाल	रामलाल	
85	रामिदुख	रामिदुख	
86	निमडी	निमडी	
87	रामि	रामि	
88	कामल	कामल	
89	रुखनी	रुखनी	
90	सिगारु	सिगारु	
91	मागरी	मागरी	
92	कुन्ने		
93	छगारी	छगारी	
94	रुख		
95	रामली	रामली	
96	पुन	पुन	
97	कमली	कमली	
98	फल	फल	
99	रामुवा	रामुवा	
100	सोहनलाल	सोहनलाल	
101	रामपति	रामपति	
102	सजिलाल (राम)	सजिलाल	
103	कानिना	कानिना	

(104)	जाधुवाल	साधुवाल
(105)	विभाववाल	विभाववाल
(106)	पिलासी	पिलासी
(107)	हिरावाल	हिरावाल
(108)	शमवाल	शमवाल
(109)	उमरवाली	उमरवाली
(110)	चन्दर सिंह	चन्दर सिंह
(111)	सैम सिंह	सैम सिंह
(112)	हरि सिंह रावल	हरि सिंह
(113)	भूकेश सिंह	भूकेश सिंह
(114)	अवतार सिंह	अवतार सिंह
(115)	रवदेव	रवदेव
(116)	कमलानी	कमलानी
(117)	नारी	नारी
(118)	राजयसिंह	राजयसिंह
(119)	राहण	राहण
(120)	राम्मी	राम्मी
(121)	रतालाल	रतालाल
(122)	गानेश	गानेश

(123)	नरसिंह	नरसिंह	
(124)	मिगरी	मिगरी	
(125)	अश्वमेध	अश्वमेध	
(126)	रिह	रिह	
(127)	वक्कीराम	वक्कीराम	
(128)	बुद्धीराम	बुद्धीराम	
(129)	अनारी	अनारी	
(130)	शेजीलाल	शेजीलाल	
(131)	उमराल	उमराल	
(132)	लसेरु	लसेरु	
(133)	सुलमणी	सुलमणी	
(134)	लालू	लालू	
(135)	सांगेल	सांगेल	
(136)	सुरतानु	सुरतानु	
(137)	सुलमणी	सुलमणी	
(138)	गुरेग	गुरेग	
(139)	शेजनी	शेजनी	
(140)	उमराल सिंह	उमराल सिंह	
(141)	गुडडी	गुडडी	
(142)	सुरतानु सिंह	सुरतानु सिंह	
(143)	अरविग	अरविग	
(144)	अमना	अमना	
(145)	शोभा	शोभा	
(146)	किशोरलाल	किशोरलाल	
(147)	शोभा	शोभा	
(148)	पदीलाल	पदीलाल	

(149) राम प्रसाद

राम

(150) शाहि प्रसाद

शाहि

(151) श्री भोले बिरवा

किरण

(152) श्री रमेश प्रसाद

रमेश

(153) श्री भोले बिलवेई

भिलवेई

(154) पसमीना

पसमीना

(155) श्री रणदेव

रणदेव

(156) श्री दिलल सिंह

दिलल

(157) श्री भोले कृष्णा

कृष्णा

(158) श्री भोले विद्यादेई

विद्यादेई

(159) श्री भोले संगीता

संगीता

(160) श्री प्रवीण

प्रवीण

(161) श्री भोले नीलम

नीलम

(162) श्री प्रमोद

प्रमोद

(163) श्री जगतराम

जगतराम

(164) श्री नरेन्द्र सिंह

नरेन्द्र

(165) श्री चन्दना

चन्दना

(166)	श्री रामकृष्ण	रामकृष्ण
(167)	श्री सुभाष	सुभाष
(168)	श्री भोले भंजी	भंजी
(169)	श्री तेरा छिटे	तेरा मीट
(170)	श्री रामचन्द्र	रामचन्द्र
(171)	श्री भोले नरेन्द्र	नरेन्द्र
(172)	श्री भोले रोजी	रोजी
(173)	श्री भोले दर्शनी	दर्शनी
(174)	श्री भोले सुनिला	सुनिला
(175)	श्री भोले परवीना	परवीना
(176)	श्री लक्ष्मण	लक्ष्मण
(177)	श्री भोले राधा	राधा
(178)	श्री भोले	वसन्ती
(179)	श्री बालकृष्ण	बालकृष्ण
(180)	श्री धनपूर	धनपूर
(181)	श्री हरिश्चन्द्र रावत	हरिश्चन्द्र

182) श्री मुन्शी राम

मुन्शी राम

183) श्रीमद्विद्या

दक्षिणा

184) श्री गाले अश्वनी

जशवन्ती

185) श्री जगतपाल सिंह

जी तयाल सिंह

186) श्री मति लखु देव

बाबू देव

3 187) श्री रणजोर सिंह

रणजोर सिंह

DATE -----

कार्यालय ग्राम पंचायत धारा
विकास खण्ड मोरी, जिला उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड)
पंचायती राज विभाग

क्रमांक २१ दिनांक ०९/५/२०१८
नकल प्रस्ताव संख्या २१/१८ दिनांक बैठक पंचायत/ग्राम सभा २१/१८
उपस्थिति १००/१०० अध्यक्षता श्री/श्रीमती सुभाषी प्रधान ग्राम पंचायत, धारा

विषय: प्रस्तावित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (४४ मेगावाट) के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि २४.३१७ हेक्टेयर एसजेवीएन के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु चर्चा।

बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों के ध्यानार्थ लाया गया कि प्रस्तावित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (४४ मेगावाट) के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत पांव तल्ला/ पांव मल्ला/ सुनकुण्डी/ सावणी/ धारा/ जखोल की आरक्षित वन भूमि २४.३१७ हेक्टेयर एसजेवीएन के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु ग्राम सभा की बैठक हो अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है।

बैठक में श्रीमती सुभाषी देवी प्रधान ग्राम पंचायत धारा द्वारा उपस्थित सदस्यों को प्रस्तावित परियोजना की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी तथा परियोजना से होने वाले स्थानीय विकास तथा परिणामों पर चर्चा की गयी।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धारा द्वारा ग्राम सभा बैठक में एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फोरेस्ट राईट एक्ट (एफ०आर०ए०) २००६ के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। तथा किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी के अधिकारों का हनन नहीं किया जा रहा है।

चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त आरक्षित वन भूमि २४.३१७ हेक्टेयर को प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु हस्तान्तरित करने पर किसी किरम का एतराज नहीं है। बशर्ते परियोजना से प्रभावित लोगों एवं स्थानीय विकास हेतु कार्य किये जायें।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।


ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत- धारा
विकास खण्ड- मोरी
जिला- उत्तरकाशी


ग्राम पंचायत- धारा
मोरी-२० (उत्तरकाशी)

प्रतिलिपि: उप-महाप्रबन्धक परियोजना प्रमुख जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना मोरी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही सूचनार्थ प्रेषित है।

सोम पंचायत धारा

PAGE

1	रामा देवी सोम पंचायत	जालमी
2	नरमणी लाल	नरमणी
3	दादा सिंह	दादा
4	बसन्त राव	बसन्त
5	बसन्त राव	बसन्त
6	बसन्त लाल	बसन्त लाल
7	बसन्त लाल देवी - प्रधान धारा	बसन्त
8	बसन्त लाल	बसन्त
9	बसन्त लाल	बसन्त
10	बसन्त लाल	बसन्त
11	बसन्त लाल	बसन्त
12	बसन्त लाल	बसन्त
13	बसन्त लाल	बसन्त
14	बसन्त लाल	बसन्त
15	बसन्त लाल	बसन्त
16	बसन्त लाल	बसन्त
17	बसन्त लाल	बसन्त
18	बसन्त लाल	बसन्त
19	बसन्त लाल	बसन्त
20	बसन्त लाल	बसन्त
21	बसन्त लाल	बसन्त
22	बसन्त लाल	बसन्त
23	बसन्त लाल	बसन्त
24	बसन्त लाल	बसन्त
25	बसन्त लाल	बसन्त
26	बसन्त लाल	बसन्त
27	बसन्त लाल	बसन्त
28	बसन्त लाल	बसन्त
29	बसन्त लाल	बसन्त
30	बसन्त लाल	बसन्त

33	मिमा	मिमा	69
34	नेगा देवी	नेगा देवी	70
35	सैफर सिंह	सैफर सिंह	71
36	प्रवेश पवार	प्रवेश पवार	72
37	बबल पवार	बबल पवार	73
38	बबल सिंह पवार	बबल	74
39	मिमा	मिमा	75
40	गुगरी	गुगरी	76
41	लक्ष्मी	लक्ष्मी	77
42	राधा	राधा	78
43	जयशंकर	जयशंकर	79
44	जयशंकर	जयशंकर	80
45	कर्म	कर्म	81
46	गुलाब सिंह	गुलाब सिंह	82
47	प्रमोद सिंह	प्रमोद सिंह	83
48	सुरेश	सुरेश	84
49	नीला	नीला	
50	सुरपाव	सुरपाव	
51	सुनील	सुनील	
52	सुनील	सुनील	
53	पद्मा	पद्मा	
54	सुरेश सिंह	सुरेश सिंह	
55	मोहन सिंह	मोहन सिंह	
56	जयवीर सिंह	जयवीर सिंह	
57	प्रहलाद	प्रहलाद	
58	मनो राम	मनो राम	
59	माधव सिंह	माधव सिंह	
60	सुनील	सुनील	
61	सुनील	सुनील	
62	सुनील	सुनील	
63	सुनील	सुनील	
64	सुनील	सुनील	
65	सुनील	सुनील	
66	सुनील	सुनील	
67	सुनील	सुनील	

69	निर्मला	निर्मला
70	दिवाकराम	दिवाकराम
71	गालिराम	गालिराम
72	चन्द्र	चन्द्र
73	शिवराम	शिवराम
74	राजेश्वरी	राजेश्वरी
75	रामचारी	रामचारी
76	शनेश्वरी	शनेश्वरी
77	गजेश्वरी	गजेश्वरी
78	राजेश्वरी	राजेश्वरी
79	भालसिंह	भालसिंह
80		
81	राजपाल	राजपाल
82	नीललाल	नीललाल
83	मुनीलाल	मुनीलाल
84	मुनीलाल	मुनीलाल

31/8/

ग्राम पञ्चायत विकास अधिकारी
ग्राम पञ्चायत
विकास खण्ड-मोरी
जिला-उत्तरकाशी

ग्राम पञ्चायत-मोरी
2080-30 (उत्तरकाशी)

कार्यालय ग्राम पंचायत पांव मल्ला
विकास खण्ड मोरी, जिला उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड)
पंचायती राज विभाग

क्रमांक ०१/१८ दिनांक ३०/१२/२०१८
नकल प्रस्ताव संख्या ०१/१८ दिनांक बैठक पंचायत/ग्राम सभा मल्ला/पांव मल्ला
उपस्थिति १८/१२ अध्यक्षता श्री/श्रीमती कौरी रावत प्रधान ग्राम पंचायत, पांव मल्ला

विषय: प्रस्तावित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (४४ मेगावाट) के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि २४.३१७ हेक्टेयर एसजेवीएन के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु चर्चा।

बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों के ध्यानार्थ लाया गया कि प्रस्तावित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (४४ मेगावाट) के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत पांव मल्ला/पांव मल्ला/सुनकुण्डी/सावणी/धारा/जखोल की आरक्षित वन भूमि २४.३१७ हेक्टेयर एसजेवीएन के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु ग्राम सभा की बैठक हो अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है।

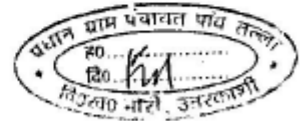
बैठक में श्री कौरी रावत प्रधान ग्राम पंचायत पांव मल्ला द्वारा उपस्थित सदस्यों को प्रस्तावित परियोजना की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी तथा परियोजना से होने वाले स्थानीय विकास तथा परिणामों पर चर्चा की गयी।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पांव मल्ला द्वारा ग्राम सभा बैठक में एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फॉरेस्ट राईट एक्ट (एफओआरएओ) २००६ के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। तथा किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी के अधिकारों का हनन नहीं किया जा रहा है।

चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त आरक्षित वन भूमि २४.३१७ हेक्टेयर को प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु हस्तान्तरित करने पर किसी किसिम का एतराज नहीं है। बशर्ते परियोजना से प्रभावित लोगों एवं स्थानीय विकास हेतु कार्य किये जायें।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।


ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत-मल्ला
विकास खण्ड-मोरी
जिला-उत्तरकाशी



प्रतिलिपि: उप-महाप्रबन्धक परियोजना प्रमुख जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना मोरी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही सूचनार्थ प्रेषित है।

पाँच प्रकरण

(1)	गिरी देवी	मीमा
(2)	गिरी देवी	मीमा
(3)	पुष्पा देवी	मीमा
(4)	आरुष	मीमा
(5)	चैन लाल	मीमा
(7)	पुष्पा देवी	मीमा
(8)	राजेश	मीमा
(9)	गुड्डा शा. उर्फ देवी	मीमा
(10)	गिरी देवी	मीमा
(11)	कागदी लाल	मीमा
(12)	रुगी देवी	मीमा
(13)	पुष्पा देवी	मीमा
(14)	सीता	मीमा
(15)	देवी	मीमा
(16)	रुगी लाल	मीमा
(17)	पुष्पा देवी	मीमा
(18)	पुष्पा देवी	मीमा
(19)	गुप्ता लाल	मीमा
(20)	पुष्पा देवी	मीमा
(21)	देवी देवी	मीमा
(22)	पुष्पा देवी	मीमा
(23)	पुष्पा देवी	मीमा
(24)	पुष्पा देवी	मीमा
(25)	राजेश लाल	मीमा
(26)	सन्त लाल	मीमा
(27)	जीता देवी	मीमा
(28)	पुष्पा देवी	मीमा
(29)	पुष्पा देवी	मीमा
(30)	पुष्पा देवी	मीमा

(31) कुन्दलाल

कुन्दलाल

(32) रजपाली

रजपाली

(33) सोबेन्द्र लाल

सोबेन्द्र

(34) सोबेन्द्र देवी

सोबेन्द्र

(35) सुभा देवी

सुभा देवी

(36) सुभा देवी

सुभा

(37) राजा देवी

राजा

(38) राजा देवी

राजा

(39) राजा देवी

राजा

(40) जनी देवी

जनी

(41) सैफ देवी

सैफ

(42) सैफ देवी

सैफ

(43) सैफ देवी

सैफ

(44) सैफ देवी

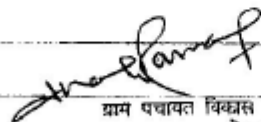
सैफ

(45) सैफ देवी

सैफ

(46) सैफ देवी

सैफ

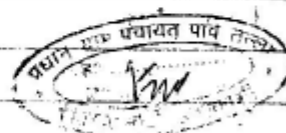


ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत- पावतलाली

विकास खण्ड-मोरी

जिला-उत्तरकाशी



कार्यालय ग्राम पंचायत पांवतल्ला
विकास खण्ड मोरी, जिला उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड)
पंचायती राज विभाग

क्रमांक ०१ दिनांक ३०/३/२०१८
नकल प्रस्ताव संख्या ०१/१४ दिनांक बैठक पंचायत/ग्राम सभा पांव तल्ला
उपस्थिति १५५/१६० अध्यक्षता श्री/श्रीमती कौरी रावत प्रधान ग्राम पंचायत, पांव तल्ला

विषय: प्रस्तावित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (४४ मेगावाट) के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि २४.३१७ हेक्टेयर एसजेवीएन के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु चर्चा।

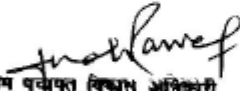
बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों के ध्यानार्थ लाया गया कि प्रस्तावित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (४४ मेगावाट) के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत पांव तल्ला/ पांव मल्ला/ सुनकुण्डी/ सावणी/ धारा/ जखोल की आरक्षित वन भूमि २४.३१७ हेक्टेयर एसजेवीएन के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु ग्राम सभा की बैठक हो अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है।

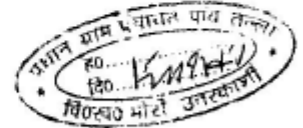
बैठक में श्रीमती कौरी रावत प्रधान ग्राम पंचायत पांव तल्ला द्वारा उपस्थित सदस्यों को प्रस्तावित परियोजना की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी तथा परियोजना से होने वाले स्थानीय विकास तथा परिणामों पर चर्चा की गयी।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पांव तल्ला द्वारा ग्राम सभा बैठक में एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फॉरेस्ट राईट एक्ट (एफओआरओ) २००६ के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। तथा किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी के अधिकारों का हनन नहीं किया जा रहा है।

चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त आरक्षित वन भूमि २४.३१७ हेक्टेयर को प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु हस्तान्तरित करने पर किसी किसिम का एतराज नहीं है। यशर्त परियोजना से प्रभावित लोगों एवं स्थानीय विकास हेतु कार्य किये जायें।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।


ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत- पांवतल्ला
विकास खण्ड-मोरी
जिला-उत्तरकाशी



प्रतिलिपि: उप-महाप्रबन्धक परियोजना प्रमुख जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना मोरी की सेवा में
आवश्यक कार्यवाही सूचनार्थ प्रेषित है।

गोम पंचायत - पांच तल्ला

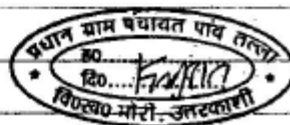
क्रमांक	नाम	इस्ताफर
1.	जयपाल सिंह	जयपाल सिंह
(2)	अतरि सिंह रावत	अतरि सिंह
(3)	भारतवर्मा सिंह रागा	
(4)	जयचन्द सिंह रागा	जयचन्द
5	जयपाल सिंह	
(6)	बन्धन लाल	
(7)	भोपाल सिंह रागा	
(8)	मिश्र सिंह रागा	
(9)	रज्जुमान सिंह रागा	
(10)	राजेश्वर लाल	
(11)	राम लाल	
(12)	रंगवीर सिंह रागा	
(13)	नेगी सिंह रागा	
(14)	सैन सिंह रावत	
(15)	पूज सिंह रागा	
(16)	सुन्दर लाल	
(17)	शिवान रागा	
(18)	विरपाल लाल	
(19)	सुरेन्द्र लाल	
(20)	केशव सिंह रावत	
(21)	सुन्दर सिंह	
(22)	दुर्गा सिंह रागा	
(23)	चैन सिंह रावत	
(24)	सैकलाल	
(25)	बन्धन लाल	
(26)	मैदर सिंह	
(27)	साधु लाल	
(28)	सुरेन्द्र देवी	
(29)	बैर सिंह	
(30)	रानी देवी	

पाँच तहसीला

31) सुताक लाल	सुताक
(32) मोहन सिंह राणा	मोहन सिंह
(33) राजेश लाल	राजेश लाल
(34) सतीश देवी	सतीश देवी
(35) बलवीर सिंह राज	B.S. Raj.
(36) मुकेश सिंह	मुकेश सिंह
(37) राज देवी	राज देवी
(38) सती देवी	सती देवी
(39) कोरी देवी	कोरी देवी
(40) लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
(41) उषा देवी	उषा देवी
(42) जयवीर देवी	जयवीर देवी
(43) रामा देवी	रामा देवी
(44) राम लाल	राम लाल देवी
(45) जयराज देवी	जयराज देवी
(46) चण्डी देवी	चण्डी देवी
(47) रामचन्द्र देवी	रामचन्द्र देवी
(48) रमेश देवी	रमेश देवी
(49) लीला देवी	लीला देवी

(Signature)

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत- 474000
विकास खण्ड-मोरी
जिला-उत्तराखण्ड



कार्यालय ग्राम पंचायत सावणी
विकास खण्ड मोरी, जिला उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड)
पंचायती राज विभाग

क्रमांक ०१/२०१८ दिनांक ०९/०५/२०१८
तकल प्रस्ताव संख्या ०१ दिनांक बैठक पंचायत/ग्राम सभा सावणी (सुनकुडी)
उपस्थिति २००/२५० अध्यक्षता श्री/श्रीमती ज्ञान सिंह प्रधान ग्राम पंचायत, सावणी

विषय: प्रस्तावित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (४४ मेगावाट) के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि २४.३१७ हेक्टेयर एसजेवीएन के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु चर्चा।

बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों के ध्यानार्थ लाया गया कि प्रस्तावित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (४४ मेगावाट) के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत पांव तल्ला/ पांव मल्ला/सुनकुडी/सावणी/धारा/जखोल की आरक्षित वन भूमि २४.३१७ हेक्टेयर एसजेवीएन के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु ग्राम सभा की बैठक हो अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है।

बैठक में श्री ज्ञान सिंह प्रधान ग्राम पंचायत सावणी द्वारा उपस्थित सदस्यों को प्रस्तावित परियोजना की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी तथा परियोजना से होने वाले स्थानीय विकास तथा परिणामों पर चर्चा की गयी।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सावणी द्वारा ग्राम सभा बैठक में एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फोरेस्ट राईट एक्ट (एफओआरओ) २००६ के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। तथा किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी के अधिकारों का हनन नहीं किया जा रहा है।

चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त आरक्षित वन भूमि २४.३१७ हेक्टेयर को प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु हस्तान्तरित करने पर किसी किसम का एतराज नहीं है। बशर्ते परियोजना से प्रभावित लोगों एवं स्थानीय विकास हेतु कार्य किये जायें।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।


ग्राम पंचायत
विकास खण्ड मोरी
जिला-उत्तरकाशी


प्रधान ग्राम पंचायत
विकास खण्ड मोरी जिला
उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड)
०९/०५/०१८

प्रतिलिपि: उप-महाप्रबन्धक परियोजना प्रमुख जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना मोरी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही सूचनार्थ प्रेषित है।

सामग्री

क्रमांक	नाम	हस्ताक्षर
(1)	जगत राम	जगत
2	प्रताप सिंह	प्रताप
3	लक्ष्मण सिंह	लक्ष्मण
4	किताब सिंह	किताब
5	जयवीर सिंह	जयवीर
6	प्रदीप सिंह	प्रदीप
7	जगमोहन	जगमोहन
8	सत्ये सिंह	सत्ये
9	तेगी सिंह	तेगी
10	सेन सिंह	सेन
11	कलगी देवी	कलगी
12	जलबानी देवी	जलबानी
13	बृहम देव	बृहम
14	समती देवी	समती
15	गंगा सिंह	गंगा सिंह
16	गुहवीर सिंह	गुहवीर
17	कपाल सिंह	कपाल
18	जगवीर	जगवीर
19	बलवीर	बलवीर
20	सुरीदेवी	सुरीदेवी
21	विजय	विजय
22	जगदीश	जगदीश
23	भोती	भोती
24	राजमोहन	राजमोहन
25	विजय	विजय
26	रंग देव सिंह	रंग देव सिंह
27	देवेन्द्र	देवेन्द्र
28	रामवीर	रामवीर

समावली

क्र.सं.	नाम	हस्ताक्षर
29	राजेश सिंह	राजेश
30	प्रेमलाल	प्रेमलाल
31	सुरेश	सुरेश
32	कुंहीलाल	कुंहीलाल
33	सनीता	सुभाता
34	सुदी देवी	सुदी
35	मंगर सिंह	मंगर
36	लाधर सिंह	लाधर
37	कैदार सिंह	कैदार
38	शुक्ली देवी	शुक्ली
39	सरदार सिंह	सरदार
40	बचन सिंह	बचन
41	जगदी देवी	जगदी
42	कुलदीप	कुलदीप

(Signature)
 ज्ञान एवम्बत विकास अधिकारी
 ज्ञान एवम्बत-सदस्य
 विकास कण्ड-मोरा
 जिला-उत्तराखण्ड

(Signature)
 प्रभु राम चंदायन सिंह
 जिला-मुरा
 उत्तराखण्ड (जिलाखण्ड)

कार्यालय ग्राम पंचायत सुनकुण्डी
विकास खण्ड मोरी, जिला उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड)
पंचायती राज विभाग

क्रमांक २१
नकल प्रस्ताव संख्या ०१/११ दिनांक बैठक पंचायत/ग्राम सभा सुनकुण्डी पांच तल्ला
उपस्थिति २००/२५० अध्यक्षता श्री/श्रीमती कौरी रावत प्रधान ग्राम पंचायत, सुनकुण्डी

विषय: प्रस्तावित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (44 मेगावाट) के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि 24.317 हेक्टेयर एसजेवीएन के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु चर्चा।

बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों के ध्यानार्थ लाया गया कि प्रस्तावित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (44 मेगावाट) के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत पांच तल्ला/ पांच मल्ला/ सुनकुण्डी/ सावणी/ धारा/ जखोल की आरक्षित वन भूमि 24.317 हेक्टेयर एसजेवीएन के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु ग्राम सभा की बैठक हो अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है।

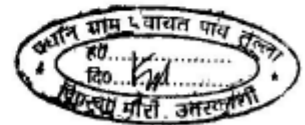
बैठक में श्रीमती कौरी रावत प्रधान ग्राम पंचायत सुनकुण्डी द्वारा उपस्थित सदस्यों को प्रस्तावित परियोजना की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी तथा परियोजना से होने वाले स्थानीय विकास तथा परिणामों पर चर्चा की गयी।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सुनकुण्डी द्वारा ग्राम सभा बैठक में एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फ़ोरेस्ट राईट एक्ट (एफ़0आर0ए0)2006 के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। तथा किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी के अधिकारों का हनन नहीं किया जा रहा है।

चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त आरक्षित वन भूमि 24.317 हेक्टेयर को प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु हस्तान्तरित करने पर किसी किसम का एतराज नहीं है। बशर्ते परियोजना से प्रभावित लोगों एवं स्थानीय विकास हेतु कार्य किये जायें।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

रावत



[Signature]
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत-477912/मोरी
विकास खण्ड-मोरी
जिला-उत्तरकाशी

तिलिपि: उप-महाप्रबन्धक परियोजना प्रमुख जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना मोरी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही सचनार्थ तेजिन *।

समयचक्र सुनोडी

(1)	रविवार तिहु	रविवार तिहु
(2)	आसु	आसु
(3)	कुपन तिहु	कुपन तिहु
(4)	जुपल तिहु	जुपल तिहु
(5)	किताब तिहु	किताब तिहु
(6)	मेडी तिहु	मेडी तिहु
(7)	सैज राग	सैज राग
(8)	अतर तिहु	अतर तिहु
(9)	जग	जग
(10)	लाइल राग	लाइल राग
(11)	रगवीर तिहु	रगवीर तिहु
(12)	जान तिहु	जान तिहु
(13)	गंगा तिहु	गंगा तिहु
(14)	राम लाल	राम लाल
(15)	मोहन तिहु	मोहन तिहु
(16)	जुदवीर तिहु	जुदवीर तिहु
(17)	जयचन्द तिहु	जयचन्द तिहु
(18)	भाव तिहु	भाव तिहु
(19)	पुष्पा तिहु	पुष्पा तिहु
(20)	सुरेन्द्र तिहु	सुरेन्द्र तिहु
(21)	राम लाल	राम लाल
(22)	सुरेन्द्र	सुरेन्द्र
(23)	उमरी देवी	उमरी देवी
(24)	सुमरी	सुमरी
(25)	कलगा देवी	कलगा देवी
(26)	राय तिहु	राय तिहु
(27)	नरेश तिहु	नरेश तिहु
(28)	मिथरी देवी	मिथरी देवी
(29)	चैन तिहु	चैन तिहु
(30)	मिथरी देवी	मिथरी देवी
(31)	वज्र	वज्र
(32)	वज्र	वज्र

सुनवली

सुनवली

(33) शीसपाल	शीसपाल	(64)
(34) शेवदपीठ	शेवदपीठ	(65)
(35) राजमगी	राजमगी	(66)
(36) जैन सिंह	जैन सिंह	(67)
(37) मानता	मानता	(68)
(38) प्रताप सिंह	प्रताप सिंह	(69)
(39) राधिका	राधिका	(70)
(40) नदी	नदी	(71)
(41) कपाल सिंह	कपाल सिंह	(72)
(42) छगी सिंह	छगी सिंह	(73)
(43) शान्त	शान्त	(74)
(44) भगतपीठ	भगतपीठ	(75)
(45) पिगला देवी	पिगला देवी	(76)
(46) मुजी देवी	मुजी देवी	(77)
(47) बुलाचंद	बुलाचंद	(78)
(48) पलाद सिंह	पलाद सिंह	(79)
(49) विरेचपीठ	विरेचपीठ	(80)
(50) सरोजना	सरोजना	(81)
(51) सोखन सिंह	सोखन सिंह	(82)
(52) सगीता	सगीता	(83)
(53) कोर सिंह	कोर सिंह	(84)
(54) लीला देवी	लीला देवी	(85)
(55) दिलशा देवी	दिलशा देवी	(86)
(56) श्रीमती देवी	श्रीमती देवी	(87)
(57) दुर्गा देवी	दुर्गा देवी	(88)
(58) जैदरी	जैदरी	(89)
(59) लड्डूचिठ	लड्डूचिठ	(90)
(60) लोरी देवी	लोरी देवी	(91)
(61) सुलोचना	सुलोचना	(92)

સુભગા

૧૧

(૬૪)	નોનિયાલીસિદ્ધ	નોનિયાલીસિદ્ધ
(૬૫)	બનાસી દેવી	બનાસી
(૬૬)	તેગી સિદ્ધ	તેગી સિદ્ધ
(૬૭)	મીના દેવી	મીના
(૬૮)	રંગજોર સિદ્ધ	રંગજોર
(૬૯)	લેખા દેવી	લેખા
(૭૦)	જનક સિદ્ધ	જનક સિદ્ધ
(૭૧)	રામપ્રાપી	રામપ્રાપી
(૭૨)	કર્મ સિદ્ધ	કર્મ
(૭૩)	સ્વજાની દેવી	સ્વજાની
(૭૪)	જાતે સિદ્ધ	જાતે
(૭૫)	રાજેશ્વરી	રાજેશ્વરી
(૭૬)	શુરવીર સિદ્ધ	શુરવીર
(૭૭)	જાતે દેવી	જાતે
(૭૮)	દુલ્હન સિદ્ધ	દુલ્હન સિદ્ધ
(૭૯)	જાતે સિદ્ધ	જાતે સિદ્ધ
(૮૦)	ઠાકુર સિદ્ધ	ઠાકુર
(૮૧)	હરદેવ	હરદેવ
(૮૨)	ગોલી સિદ્ધ	ગોલી સિદ્ધ
(૮૩)	તસ્વીર	તસ્વીર
(૮૪)	રમપ્રાપી	રમપ્રાપી
(૮૫)	પાલિકા	પાલિકા
(૮૬)	પ્રસન્ન સિદ્ધ	પ્રસન્ન સિદ્ધ
(૮૭)	મીના દેવી	મીના
(૮૮)	સિલીચાપ	સિલીચાપ
(૮૯)	રાધીકા	રાધીકા
(૯૦)	પાલિકા	પાલિકા
(૯૧)	રાજુલી	રાજુલી
(૯૨)	દરમી સિદ્ધ	દરમી
(૯૩)	શ્રી સિદ્ધ	શ્રી

ਸਮਾਂ - ਸੁਰਕੁਲੀ

Page No.
Date

Page No.
Date

(95) ~~ਸੁਰਜਨ ਲਾਲ~~

ਸੁਰਜਨ ਲਾਲ

(96) ਸੁਸੀਲਾ

ਸੁਸੀਲਾ

(97) ਫੁਕੀ ਲਾਲ

ਫੁਕੀ

(98) ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ

(99) ਅੰਤਰੀ ਦੇਵੀ

ਅੰਤਰੀ

(100) ਭੁਲਾਘੀ ਸਿੰਘ

ਭੁਲਾਘੀ

(101) ਏਕਬਰ ਸਿੰਘ

ਏਕਬਰ

(102) ਬੁਨਾ ਦੇਵੀ

ਬੁਨਾ

(103) ਲਾਇਲਾ ਸਿੰਘ

ਲਾਇਲਾ

(104) ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਵੀ

ਰੋਜ਼ੀ

(105) ਮੋਰੀ ਦੇਵੀ

ਮੋਰੀ

(106) ~~ਸਰਜੀ~~ ਦੇਵੀ

ਸਰਜੀ

(107) ਸ਼ੀਨਾ ਦੇਵੀ

ਸ਼ੀਨਾ

(108) ਚੰਦ ਦੇਵੀ

ਚੰਦ

(109) ਅੰਜੀ ਦੇਵੀ

ਅੰਜੀ

(110) ਏਕਬਰੀ ਦੇਵੀ

ਏਕਬਰੀ

(111) ਏਕਬਰ ਸਿੰਘ

ਏਕਬਰ

(112) ਸਰੋਜਨਾ

ਸਰੋਜਨਾ

(113) ਸੁਰਜਮਨੀ

ਸੁਰਜਮਨੀ

(114) ਪਾਵਨੀ ਦੇਵੀ

ਪਾਵਨੀ

(115) ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਿੰਘ

ਪ੍ਰਭਾਤ

(116) ਭਨਾਸੀ ਦੇਵੀ

ਭਨਾਸੀ

(117) ਭੁਖਾਰੀ ਦੇਵੀ

ਭੁਖਾਰੀ

(118) ਸ਼ਕਰੀ ਦੇਵੀ

ਸ਼ਕਰੀ

(119) ਅਗਰੇਲੀ ਦੇਵੀ

ਅਗਰੇਲੀ

(120) ਗੋਪੀਕਾਮਲ

ਗੋਪੀਕਾਮਲ

(121) ਗੁਰੂ

ਗੁਰੂ

(122) ਚੰਦੀ

ਚੰਦੀ

साम - सुनकर

(123) से-दी-रावर	से-दी-रावर
(124) लचुगी	लचुगी
(125) पीरी	पीरी
(126) सूरजा	सूरजा
(127) लखन गिर	लखन गिर
(128) लखन गिर	लखन गिर
(129) सोलन गिर	सोलन गिर
(130) सोलीला देवी	सोलीला देवी
(131) पगु राम	पगु राम
(132) नानकाल गिर	नानकाल गिर
(133) लनासी देवी	लनासी देवी
(134) राजेन्द्र गिर	राजेन्द्र गिर
(135) मेन गिर	मेन गिर
(136) कागल राम	कागल राम
(137) शान्त देवी	शान्त देवी
(138) ठगी गिर	ठगी गिर

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत विकास
विकास खण्ड-मोरी
जिला-उत्तरकाशी

